



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62525 DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 7360 वर्ष 2026

हरि शंकर और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ओम नारायण द्विवेदी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहतों की मांग की है:-

(i) दिनांक 27.11.1982 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित किए गए विवादित एकतरफा आदेश (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 4) को रद्द करने हेतु सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) प्रतिवादियों को ग्राम चक पुरे, मियां खास, परगना और तहसील करछना, जिला प्रयागराज में स्थित 3132.08 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि याचिकाकर्ताओं को लौटाने का आदेश देने हेतु परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. याचिकाकर्ता पोहल के वंशज हैं, जो चक पुरे गांव के गटा नंबर 65, मियां खुर्द और राही ता पौड़ी गांव के गटा नंबर 85 सहित अन्य जमीनों के मूल भूस्वामी थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (जिसे आगे "अधिनियम, 1976" कहा गया है) के तहत कार्यवाही के बावजूद, याचिकाकर्ता उस जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं, जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया था।

3. याचिकाकर्ता पोहल के वंशज हैं, जो चक पुरे गांव के गटा नंबर 65, मियां खुर्द और राही ता पौड़ी गांव के गटा नंबर 85 सहित अन्य जमीनों के मूल भूस्वामी थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (जिसे आगे "अधिनियम, 1976" कहा गया है) के तहत कार्यवाही के बावजूद, याचिकाकर्ता उस जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं, जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया था।

4. अपने दावे के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने राजस्व लेखपाल की दिनांक 27.01.2026 की एक रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो याचिका के पृष्ठ संख्या 52 पर दर्ज है और निम्नलिखित है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"उपरोक्त आ०स० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि ग्राम चकपुरेमिया खुर्द के आ०स० 13 नि० पर वर्तमान में कृषि कार्य हो रहा है तथा वर्तमान में गेहूं की फसल बोई गई है आ०स० 65 के जूज रकबे पर पक्का मकान बना हुआ है तथा शेष रकबे पर कृषि कार्य हो रहा है। ग्राम रेही ता० पवरी के आ०सं० 84 में भी जुज रकबे पर मकान बना है तथा शेष रकबे पर कृषि कार्य हो रहा है। स्थल फोटो ग्राफ संलग्न है।"

5. इस न्यायालय ने दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को दिनांक 27.01.2026 को लेखपाल द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट की प्रामाणिकता सत्यापित करने का निर्देश दिया था। श्री मोहन श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर कहा है कि लेखपाल की उक्त रिपोर्ट सही है। निर्देशों को अभिलेख में ले लिया गया है।

6. हमने सक्षम प्राधिकारी, शहरी सीमा निर्धारण विभाग, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत निर्देशों का अध्ययन किया है, जिसमें कहा गया है कि लेखपाल की दिनांक 27.01.2026 की रिपोर्ट के सत्यापन के उद्देश्य से, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, करचाना, प्रयागराज द्वारा भूमि का स्थानीय निरीक्षण किया गया था, जिन्होंने इस संबंध में दिनांक 16.03.2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

7. दिनांक 16.03.2026 की उपरोक्त रिपोर्ट निर्देशों के साथ विधिवत संलग्न है और इसका प्रासंगिक भाग निम्न प्रकार से है:-

“तत्काल में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार करछना के माध्यम से करायी गयी, जांच आख्या मूलरूप से साथ में संलग्न है। तहसीलदार करछना ने अपनी जांच आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि आदेश के अनुपालन में संलग्न लेखपाल की आख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 27.01.2026 का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल के साथ किया गया। जांच में पाया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 27.01.2026 सही है। इसके अतिरिक्त मांगी गयी अन्य सूचना इस प्रकार है। ग्राम रेही ता० पवरी, स्थित गाटा संख्या 85 राजस्व अभिलेख खतौनी में दो खातों में विभक्त है। गाटा संख्या 85 मि० रकबा 0.0100हे० भूमि, नगर भूमि सीमा रोपड़ के नाम व गाटा संख्या 85 मि० रकबा 0. 1400 हे० भूमि अतुल कुमार सिंह व अन्य सहखातेदार के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। गाटा संख्या 85 मि० रकबा 0.0100हे० नगर भूमि सीमा रोपड़ वाली भूमि पर भी हरी शंकर पुत्र पोहल व इनके परिवार के सदस्यों द्वारा वर्तमान में भी गेहूं की फसल बोई गयी है।

ग्राम चकपूरे मियाखुर्द की आराजी संख्या 65 रकबा 0.2990हे० राजस्व अभिलेख खतौनी एक ही खाते में दर्ज है, जो नगर भूमि सीमा रोपड़ के नाम दर्ज है। 'आराजी संख्या 65 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य खाते में दर्ज होना नहीं पाया गया।"

8. इन परिस्थितियों में, जब हम रिट याचिका में वर्णित तथ्यों पर फिर से विचार करते हैं, तो यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वज, स्वर्गीय पोहल, चक पुरे मियां खुर्द में गटा संख्या 65 और ग्राम राही ता पौड़ी में गटा संख्या 85 के पंजीकृत काश्तकार थे। लेखपाल की दिनांक 27.01.2026 की रिपोर्ट से पता चलता है कि गटा संख्या 65, जिसका क्षेत्रफल 0.2990हेक्टेयर है, राजस्व अभिलेखों में शहरी सीमा भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन इस पर एक मकान का निर्माण किया गया है और उक्त गटा में शामिल शेष भूमि पर कृषि गतिविधियाँ चल रही हैं। इसके अलावा, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, करचाना, प्रयागराज की दिनांक 16.03.2026 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 0.0100 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली गटा संख्या 85-एम, राजस्व अभिलेखों में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शहरी सीमा भूमि के रूप में दर्ज होने के बावजूद, पोहल के पुत्र हरि शंकर और उनके परिवार ने उक्त भूमि पर गेहूँ की फसल उगाई है।

9. यह उल्लेख किया गया है कि हरि शंकर वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 हैं। गटा संख्या 85-एम में शामिल शेष भूमि, जिसका क्षेत्रफल 0.1400 हेक्टेयर है, का राजस्व अभिलेख में अतुल कुमार सिंह और अन्य सह-किरायेदारों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है, जिनके पास हस्तांतरणीय अधिकार हैं।

10. अतः, स्वयं प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने गाटा संख्या 65 पर एक मकान का निर्माण किया है और उस पर कृषि गतिविधियाँ कर रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता गाटा संख्या 85 में 0.100 हेक्टेयर भूमि पर कृषि गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो दोनों ही सीमांत भूमि के रूप में दर्ज हैं। इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता, जो स्वर्गीय पोहल के वंशज हैं, प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं।

11. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही को ज्ञान की कमी के आधार पर चुनौती दे रहा है, जबकि अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उक्त कार्यवाही की जानकारी थी और उसने उचित समय पर इसे चुनौती नहीं दी। इसलिए, विलंब और लापरवाही के आधार पर रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

12. चाहे जो भी हो, जब प्रतिवादी स्वयं लेखपाल की रिपोर्ट और निर्देशों के आधार पर यह स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता घोषित अधिशेष भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत संपूर्ण कार्यवाही निरसन अधिनियम, 1999 के मद्देनजर समाप्त हो जाती है। एक बार याचिकाकर्ताओं का संबंधित भूमि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर कब्जा स्वीकार कर लिया गया है, तो हमें लगता है कि केवल विलंब के आधार पर उनके दावे को खारिज करना अनुचित होगा।

13. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम मामले में (एआईआर 2013 एससी 1793) निम्नलिखित निर्णय दिया था:

“18.2 ऐसा निर्णय लेने के बाद, इस न्यायालय ने निरसन अधिनियम की धारा 4 के उचित अनुप्रयोग क्षेत्र को स्थापित करते हुए निष्कर्ष निकाला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

निरसन अधिनियम का प्रभाव

41. अब हम निरसन अधिनियम 15, 1999 की धारा 3 का अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करेंगे। 1999 के निरसन अधिनियम ने अधिनियम 33, 1976 को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है। निरसन अधिनियम के उद्देश्य और कारण इस निर्णय के पिछले भाग में पहले ही बताए जा चुके हैं। निरसन अधिनियम में एक बचाव खंड रखा गया है। किसी कानून के निरस्त होने से पहले उसके अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त हुआ है या कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, यह प्रत्येक मामले में कानून की व्याख्या और विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

42. धारा 10 की उपधारा (3) के तहत भूमि का मात्र निहित होना राज्य सरकार को रिक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि 18-3-1999 से पहले रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण न हो गया हो। राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण हुआ है या धारा 10 की उपधारा (5) के तहत शांतिपूर्ण कब्जा सौंपना और सौंपना हुआ है या धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखली हुई है। इनमें से किसी भी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति को सिद्ध करने में विफल रहने पर, भूमि स्वामी या धारक निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकार इस अपील में इनमें से किसी भी स्थिति को सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही है कि प्रतिवादी निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः, यह माना गया कि भूमि का भूस्वामी निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 का लाभ उठा सकता है यदि वास्तव में भूमि का हस्तांतरण अभी तक नहीं हुआ है या तो स्वैच्छिक समर्पण, धारा 10(5) के तहत शांतिपूर्ण हस्तांतरण या अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) के तहत बलपूर्वक बेदखली के माध्यम से।

14. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश विद्युत उपकरण निगम बनाम तहसीलदार (एआईआर अनलाइन 2025 एससी 302)** के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

“20. इस प्रकार, निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य सरकार की ओर से रिक्त भूमि का कब्जा निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने से पहले ले लिया गया है, तो मूल अधिनियम का निरसन अधिनियम, 1976 की धारा 10 की उपधारा (3) के तहत ऐसी भूमि के निहित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए, यह मुद्दा कि अधिनियम के तहत अतिरिक्त घोषित भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया है या नहीं, निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि कब्जा नहीं लिया गया है, तो निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और भूमि का स्वामित्व, यदि अधिनियम, 1976 की धारा 10(3) के तहत राज्य सरकार में निहित है, तो मूल भूमिधारक को किसी भी प्रकार के भुगतान के अधीन वापस करना होगा। राज्य सरकार द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसी भूमि के संबंध में भुगतान की गई राशि।" वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-राज्य स्वयं स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि पर कब्जे में हैं और इसलिए उपरोक्त के मद्देनजर, अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

15. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दलसुखभाई बाचूभाई सतसिया और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, एआईआर 2026 एससी 475 मामले में इसी प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्त किया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

22.4 इसलिए, यूएलसी अधिनियम की धारा 10(3) और 10(5) के प्रावधानों के अनुसार, विचाराधीन भूमि, राज्य सरकार में निहित (स्वामित्व या हितों के अधिग्रहण सहित) होने के बावजूद, सरकार के कब्जे में नहीं थी। इसके अलावा, कब्जा तीन संभावित तरीकों में से किसी भी तरीके से नहीं लिया गया था, अर्थात्, अपीलकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक हस्तांतरण, अपीलकर्ताओं को धारा 10(5) के तहत नोटिस जारी करना जिसके बाद शांतिपूर्ण हस्तांतरण या यूएलसी अधिनियम की धारा 10(6) के तहत जबरन कब्जा प्राप्त करना। भूमि का कब्जा आज तक अपीलकर्ताओं के पास बना हुआ है।

22.5 ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से निरसन अधिनियम की धारा 4 के तहत छूट का प्रावधान लागू होता है। धारा 4 के परंतुक में कहा गया है कि यह धारा यूएलसी अधिनियम की धारा 11, 12, 13 और 14 के तहत भूमि से संबंधित कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जिस पर राज्य सरकार ने पहले ही कब्जा कर लिया है। इसलिए, यह परंतुक वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इस धारा के तहत छूट का लाभ पूरी तरह से लागू होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22.6 इस प्रकार के मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को निरसन अधिनियम की धारा 3 और 4 को पढ़ने से भी स्पष्ट किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, विधायी आशय यह है कि जिन मामलों में भूमि को निहित मान लिया गया था, लेकिन निरसन अधिनियम के लागू होने की तिथि तक कब्जा हस्तांतरित नहीं हुआ था (जैसे कि वर्तमान मामला), वे भूमि निजी पक्षों के कब्जे में ही रहेंगी। निरसन अधिनियम की धारा 3(2) विशिष्ट प्रकार की स्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है, अर्थात्, जहां राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि वापस की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। हालांकि, अंतर्निहित अवधारणाएं स्पष्ट हैं - कि निहित होना और कब्जा अलग-अलग हैं और बाद वाले के बिना, निजी पक्षों का कब्जा जारी रखने का दावा है। निरसन अधिनियम की धारा 4 में इसे और भी बल दिया गया है, जैसा कि पहले बताया गया है, जिसके तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

16. विलंब के प्रश्न के संबंध में, याचिकाकर्ताओं का विशिष्ट मामला यह है कि उनके पूर्ववर्ती पोहल को अधिनियम, 1976 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही के बारे में हाल ही में पता चला है।

17. अतः, विलंब के प्रश्न के संबंध में, हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020) 2 एससीसी 569 मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

“12.12. राज्य द्वारा अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय में याचिका दायर करने में देरी और लापरवाही का जो तर्क दिया गया है, वह भी अस्वीकार किए जाने योग्य है। विलंब और लापरवाही का मुद्दा किसी ऐसे मामले में नहीं उठाया जा सकता जिसमें मुकदमा निरंतर चल रहा हो, या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि परिस्थितियाँ न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दें। विलंब की क्षमा न्यायिक विवेकाधिकार का विषय है, जिसका प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण और उचित तरीके से किया जाना चाहिए। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, मांगे गए उपाय और विलंब कब और कैसे हुआ, इस पर निर्भर करेगा। न्यायालयों के लिए वास्तविक न्याय करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है।

12.13. ऐसे मामले में जहां न्याय की मांग इतनी प्रबल हो कि संवैधानिक न्यायालय न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, न कि उसे विफल करने के उद्देश्य से।

12.14. तुकाराम काना जोशी बनाम एमआईडीसी मामले में, इसी न्यायालय ने इसी प्रकार की स्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 359, अनुच्छेद 11)

“कुछ ऐसे प्राधिकार हैं जो यह कहते हैं कि विलंब और लापरवाही दावा प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त कर देते हैं। इनमें से अधिकांश प्राधिकार सेवा न्यायशास्त्र, दशकों पहले हुए अन्याय के लिए मुआवजे का अनुदान, वैधानिक देय राशियों की वसूली, शैक्षिक सुविधाओं के लिए दावा और इसी तरह के अन्य मामलों से संबंधित हैं। यद्यपि, यह सत्य है कि कुछ प्राधिकार यह निर्धारित करते हैं कि विलंब और लापरवाही किसी नागरिक को उपचार प्राप्त करने से रोकते हैं, भले ही संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन विचाराधीन मामला पूरी तरह से अलग है। राज्य के पदाधिकारियों ने कानून की किसी भी मंजूरी के बिना अपीलकर्ताओं की भूमि पर कब्जा कर लिया। अपीलकर्ताओं ने बार-बार मुआवजे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लाभ के लिए अनुरोध किया था। राज्य को या तो अधिग्रहण, या मांग, या किसी अन्य अनुमत वैधानिक तरीके के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता एक निरक्षर व्यक्ति हैं, जो विधवा हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। राज्य द्वारा उनकी निजी संपत्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही छीन लिया गया है। अपीलकर्ता को आधे सदी से अधिक समय से बिना किसी मुआवजे के उनके संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण निरंतर बना हुआ है, क्योंकि अपीलकर्ता की संपत्ति को 1967 में बिना कानूनी मंजूरी या विधिवत प्रक्रिया का पालन किए जबरन अधिग्रहित कर लिया गया था। वर्तमान मामला ऐसा है जहां न्याय की मांग अत्यंत प्रबल है क्योंकि राज्य ने स्वीकार किया है कि भूमि पर कब्जा अधिग्रहण कार्यवाही या कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया को शुरू किए बिना किया गया था। हम संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं और राज्य को अपीलकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।

18. अतः, हमें विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा विलंब और लापरवाही के संबंध में प्रस्तुत तर्क में कोई सार नहीं मिलता, क्योंकि याचिकाकर्ता निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने के बाद भी भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा बनाए हुए है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं जता सकते।

19. तदनुसार, उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत शुरू की गई कार्यवाही समाप्त हो गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर अपना कब्जा बनाए रखेगा और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।

20. इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि याचिकाकर्ता को राजस्व अभिलेखों में अपना नाम सुधारने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी, कानून के अनुसार।

(न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)

17 मार्च, 2026

गौरव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।